



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- टोंक में पुलिस थाना देवली का सहायक उपनिरीक्षक पुलिस 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 17 नवम्बर/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर टोंक इकाई द्वारा आज बुधवार को कार्यवाही करते हुये सत्यनारायण मीणा सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना देवली, जिला टोंक को परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की टोंक इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा दर्ज मुकदमें में आरोपीगण के विरुद्ध कार्यवाही करने की एवज में सत्यनारायण मीणा सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना देवली, जिला टोंक द्वारा 15 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी टोंक इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आहद खान के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये सत्यनारायण मीणा पुत्र श्री रामकुंवार मीणा ग्राम चक विजयपुरा, पुलिस थाना बरौनी, जिला टोंक हाल सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना देवली, जिला टोंक को परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।